निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर ग्रामीण
प्रकरण संख्या 143/2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

कल्याण सहाय पुत्र श्री कजोड उर्फ रेवड जाति मीणा निवासी शेख की ढाणी, ग्राम एवं तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1 श्री चिमन लाल मीणा आर.ए.एस. पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ ।

2 रामेश्वर पुत्र नाथू

3 कृष्णा पुत्र महादेव

4 बलदेव पुत्र महादेव

5 भीमाराम पुत्र महादेव

6 हरलाल पुत्र महादेव

7 श्रीमती रामप्यारी पत्नी स्व. श्री महादेव

8 श्रीमती शान्ति देवी पत्नी धौलूराम

समस्त जाति मीणा, निवासी शेख की ढाणी, ग्राम एवं तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण)

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 150/2023 एवं टी आई संख्या 120/2023 ब उनवानी कल्याण सहाय बनाम रामेश्वर व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत ।

उपस्थितः—

1. श्री नेमीचन्द जलवालिया अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री सत्यनारायण अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 08 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 05.02.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष प्रकरण संख्या 150/2023 एवं टी आई संख्या 120/2023 ब उनवानी कल्याण सहाय बनाम रामेश्वर व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 08 की ओर से वकील श्री सत्यनारायण शर्मा ने उपस्थित हो कर वकालतनामा पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि दिनांक 26.10.2023 को पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यो में व्यस्त थे और न्यायालय में सुनवाई नहीं हुई थी । अप्रार्थी सियाराम पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में उनसे बात करके आया और रीडर के पास खडा हो कर बोलने लगा कि मै एम एल ए साहब का रिश्तेदार हूं और एम एल ए साहब से एस.डी.ओ. साहब की बात हो गई है। एस.डी.ओ. साहब ने इसमें 30.10.2023 तारीख देने को कहा है और उसी दिन स्टे खारिज कर देंगे। अप्रार्थी सियाराम ने प्रार्थी को कोर्ट रूम में ही कहा कि मै 30.10.2023 को स्टे खारिज करवा दूंगा। उक्त धमकियों से प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 के न्यायालय से न्याय की कोई आशा नहीं है और निष्पक्ष न्याय की कोई गुंजाइश नहीं है। अतः उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थीगण के सुयोग्य अधिवक्ता ने प्रार्थी के आरोपों का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इन्ही पीठासीन अधिकारी से गलत तथ्य बता कर एक पक्षीय स्थगन प्राप्त कर रखा है और स्थगन को यथावत रखने के लिए ही अब बनावटी व असत्य कथन अंकित कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने बिन्दू संख्या 2 व 3 में सियाराम पर पीठासीन अधिकारी के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया है, किन्तु मन्तुकिल प्रार्थना पत्र में सियाराम को पक्षकार नहीं बनाया है। प्रार्थी ने विधायक का दबाव होना बताया है, वर्तमान में विधायक भी बदल गये है। यदि प्रार्थी के कथनानुसार उक्त वाद का स्थानान्तरण अन्यत्र कर दिया जाता है तो जबाब दाता अप्रार्थीगण के अधिकारों पर कुठाराधात होगा। साथ ही अप्रार्थीगण सस्ता व सुलभ न्याय प्राप्त करने से संचित हो जावेंगें। पक्षकारों को अनावश्यक खर्च भी वहन करना पड़ेगा जो कानून प्रकिया के दुरूपयोग किये जाने के समान है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आदेश फरमावें ।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के वर्तमान पीठासीन अधिकारी से एक पक्षीय स्थगन प्राप्त कर रखा है और अब इन्हीं के विरूद्व मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने बिन्दू संख्या 2 व 3 में सियाराम पर पीठासीन अधिकारी के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया है, किन्तु मन्तुकिल प्रार्थना पत्र में सियाराम को पक्षकार नहीं बनाया। प्रार्थी ने विधायक का दबाव होना बताया है, किन्तु वर्तमान में विधायक भी बदल गये तहै। पीठासीन अधिकारी ने भी अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। प्रार्थी ने केवल मात्र कयास के आधार पर प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब करने की मंशा से यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस सम्बन्ध में न्यायिक न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18, एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं माना है। सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर व मनन करने पर यह परिलक्षित होता है कि उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner